एफ.सं.एस-12012/60/2011-ईपीडब्ल्यू (खंड-III)

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

****

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 19 नवम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में वेतन लेवल 14 (पे बैंड-4; रु. 37400-6700 तथा ग्रेड वेतन रु. 10000/-) में महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर भर्ती

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी (सीएमएसएस) के पद को वेतन लेवल 14 (पे बैंड-4; रु. 37400-6700 तथा ग्रेड वेतन रु. 10000/-) में प्रतिनियुक्ति द्वारा ऐसे अधिकारियों में से भरने का प्रस्ताव है जो अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) तथा सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम में सहभागी संगठित समूह 'क' सिविल सेवा से हैं, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार के रुप में कार्यरत है या पैनलबद्ध हैं, वरीयत: स्वास्थ्य क्षेत्र के सामान के प्रापण में अथवा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ केन्द्र शासित प्रशासनों के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रशासन सेवा का अनुभव रखते हैं। यह पद खोज-सह-चयन समिति प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा।

भर्ती-नियम एवं जीवन-वृत्त प्रपत्र सहित रिक्ति परिपत्र संलग्न है । अनुरोध है कि इस परिपत्र को अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) तथा सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम में सहभागी संगठित समूह 'क' सिविल सेवाओं के पात्र अधिकारियों से, उनकी उम्मीदवारी आमंत्रित करने के लिए, उनमें परिचालित करें। उचित माध्यम द्वारा आवेदनपत्र अनुभाग अधिकारी (ई०पी०डब्ल्यू०) के पास कमरा नं. 515-A, पांचवा तल, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110011" के पास विज्ञापन के रोजगार समाचार में प्रकाशित होने के 45 दिन के भीतर पहुँच जाना चाहिए ।

संलग्नक: यथोक्त

(राजीव कुमार)
निदेशक
टेली नं. 011-23062495

1. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
2. राज्यों/केन्द्र शासित प्रशासनों के मुख्या सचिव।
3. संगठित समूह 'क' केन्द्रीय सिविल सेवाओं के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी।
4. कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस रिक्ति परिपत्र को व्यापक रुप में परिचालित के लिए अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें।

फा.सं. -12012/60/2011-ई.पी. डब्ल्यू
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवर कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
****

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 19 नवम्बर, 2018

परिपत्र

विषय: प्रतिनियुक्ति द्वारा वेतन लेवल 14 (पे बैंड-4; रु. 37400-6700 तथा ग्रेड वेतन रु. 10000/-) महानिदेशक एवं मुख्य कर्मकारी अधिकारी, केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में भर्ती के संबंध में।

अखिल भारतीय सेवा (AIS) के अधिकारियों तथा केन्द्रीय स्टाफिंग योजना में भाग लेने वाले समूह 'क' संगठित सेवा में कार्यरत अधिकारी अथवा संयुक्त सचिव भारत सरकार के रुप में कार्यरत अधिकारी, जिनके पास केन्द्र सरकार /राज्य सरकार/ संघ राज्य प्रशासन के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र की वस्तुओं की खरीद अथवा स्वास्थ्य प्रशासन में अनुभव हो, से प्रतिनियुक्ति द्वारा वेतन लेवल 14 (पे बैंड-4; रु. 37400-6700 तथा ग्रेड वेतन रु. 10000/-) महानिदेशक एवं मुख्य कर्मचारी अधिकारी केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में भर्ती का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन हेतु अधिसूचित खोज-सह –चयन समिति के माध्यम से पद भरा जाएगा।

2. पद हेतु भर्ती नियम तथा आवेदन प्रपत्र संलग्न है।

3. केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत दवाओं की खरीद और अन्य चिकित्सा आपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगी। यह सोसाइटी स्वास्थ्य क्षेत्र की वस्तुओं की वस्तुसूची और वितरण की प्रभावी निगरानी के लिए आई.टी. सक्षम एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली अपनाएगी।

4. चयनित अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी और केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी के महानिदेशक और सोसाइटी के शासी निकाय के सदस्य–सचिव के रुप में भी कार्य करेगा और इन क्षमताओं के साथ निम्नवत् के लिए उत्तरदायी होगा:-

(i) केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी का दैनिक प्रशासन/समग्र प्रबंधन;
(ii) सोसाइटी के नये कार्यक्रम हेतु प्रस्ताव तैयार करना;
(iii) सीएमएसएस के शासी निकाय डाटा अनुमोदित कार्य और निर्णयों का कार्यान्वयन;
(iv) सुनिश्चित करना कि सीएमएसएस अपने उपभोक्ताओं की अपेक्षा के अनुसार विशेषज्ञ सेवा प्रदानगी की पर्याप्तता और समय लाने के संदर्भ में अपने कार्य करे;
(v) सीएमएसएस के राजस्व व व्यय तथा बजटीय निष्पादन की विवरण तैयार करना; तथा
(vi) अंतिम उपभोक्ता के लिए कुशल प्रापण और 3 गुणवत्तापरक औषधियों, चिकित्सा उपकरण आदि के उपयुक्त वितरण को सुविधा जनक बनाने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य/ संघ राज्य सरकारों से संपर्क बनाए रखना तथा कमियों और अपशिष्टों का उन्मूलन।

(vii) सोसाइटी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तथा नियमावली व विनियमों के अनुपालन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार तथा सीएमएसएस के शासी निकाय द्वारा सौपे गए सभी कार्यों का कार्यान्वयन।

5. चयनित अधिकारी की प्रतिनियुक्त अवधि आरंभ में तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी, जिसे दो वर्ष तक बढाया जा सकता है। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के अनुसार नियुक्ति हेतु अधिकतम सीमा वरीयत: 52 वर्ष होनी चाहिए।

6. चयनित अधिकारी के पास उसके मूल संवर्ग वेतन सहित प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ता अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतन तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रचलित नियमों के अनुपालन में प्रतिनियुक्ति की अन्य शर्तें व निबंधन का विकल्प रखने का विकल्प होगा। प्रति नियुक्ति की अन्य शर्तें व निबंधन का शासन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस संदर्भ में जारी तथा अखिल भारतीय सेवा से संबंधित अधिकारी तथा केन्द्रीय स्टाफिंग योजना में संगठित समूह 'क' सेवा लोक सेवाओं के प्रतिभागी के प्रचालित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

7. कृपया रिक्ति परिपत्र को पात्र अधिकारियों में परिचालित कर आवेदन मंगाए जाएं। पात्र तथा इच्छुक व्यक्ति संलग्न प्रपत्र में (प्रतिलिपि में) उचित माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भेजते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई सतर्कता मामला/अनुशासनिक कार्यवाई लंबित न हो ओर न ही विचार किया जा रहा हो। आवेदन के साथ विगत 5 वर्ष का अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर वर्ष 2012-13 से 2017-18 तथा विगत 10 वर्ष के दौरान की सतर्कता निकासी तथा बडे/छोटे दंड का विवरण भी अवश्य भेजा जाये।

8. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को किसी भी समय उपर्युक्त भर्ती प्रक्रिया को निरस्त / संसोधित करने का अधिकार है।

9. उचित माध्यम द्वारा आवेदनपत्र अनुभाग अधिकारी (ई०पी०डब्ल्यू०) के पास कमरा नं. 515-A, पांचवा तल, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110011" के पास विज्ञापन के रोजगार समाचार में प्रकाशित होने के 45 दिन के भीतर पहुँच जाना चाहिए।

(राजीव कुमार)
निदेशक
टेली नं. 011-23062495

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग
2. सभी राज्य/संघ राज्य प्रशासन के प्रधान सचिव
3. संगठित समूह 'क' केन्द्रीय लोक सेवा के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी
4. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
5. एनआईसी,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

महानिदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केन्द्र चिकित्सा सेवा सोसायटी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हेतु भर्ती नियम

1.	पदनाम	महा निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2.	पद संख्या	1 (एक)
3.	वर्गीकरण	समूह 'क'
4.	वेतनमान/वेतन बैंड	वेतन लेवल 14 (पे बैंड-4; रु. 37400-6700 तथा ग्रेड वेतन रु. 10000/-)
5.	चयन पद है अथवा नहीं	लागू नहीं
6.	आयु सीमा	अधिमानतः 52 वर्ष से कम
7.	सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक आवश्यक व अन्य योग्यता	लागू नहीं
8.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु व शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशाओं लागू होगीं या नहीं।	जैसा अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) के किसी अधिकारी और केन्द्रीय स्टाफिंग योजना में भाग लेने वाले संगठित समूह 'क' सिविल सेवाओं पर लागू होता है।
9.	परिवीक्षा की अवधि	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती किए जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	खोज-सह-चयन समिति प्रक्रिया तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के माध्यम से
11.	किए ग्रेड से प्रतिनियुक्ति की जाएगी	केन्द्र स्टाफ योजना में भाग लेने वाले अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) तथा संगठित समूह क के अधिकारी जो कि भारत सरकार में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत अथवा पैनलब्ध हैं। अधिमानतः इस पद नियुक्ति के लिए वह लोग योग्य होंगे जिनके पसा स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी सामग्री के प्रापण या स्वास्थ्य प्रशासन का अनुभव हो।
12.	नौकरी संबंधी आवश्यकताएं	वह केन्द्र चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी व महा निदेशक होगा/होगी तथा साथ ही शासकीय निकाय के सदस्य सचिवि के रूप में कार्य करेगा/करेगी और निम्न लिखित के लिए उत्तरदायी होगा/होगीः- क. केन्द्र चिकित्सा सेवा सोसाइटी का दैनिक प्रशासन/संपूर्ण प्रवंधन ख. सीएमएसएस कार्य कार्यक्रमों हेतु प्रस्ताव बनाना ग. सीएमएसएस की शासकीय निकाय द्वारा अनुमोदित कार्य कार्यक्रमों व निर्णयों को कार्यान्वित करना घ. यह सुनिश्चित करना कि सीएमएसएस इसके प्रयोक्ताओं की अपेक्षानुसार कार्य करे, विशेषकर प्रदान की जाने वाली सेवाओं की पर्याप्तता व लिए जाने वाले समय के संबंध में। ङ. राजस्व व व्यय के विवरण की तैयारी तथा सीएमएसएस के बजट का कार्यान्वयन तथा च. कुशल प्रापण व अंतिम प्रयोक्ताओं तक गुणवत्ता औषधियों व चिकित्सा उपकरण आदि के उपयुक्त वितरण तथा कमियों व बरवादी को रोकने के लिए केन्द्र सरकार व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ संपर्क बनाना व बनाए रखना। छ. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार संस्था के ज्ञापन व सोसाइटी के नियम व विनियम के अनुसार सीएमएसएस की शासकीय निकाय द्वारा दिए जाने वाले सभी कार्यों का कार्यान्वयन करना।
13.	नियुक्ति की अवधि	आरंभ में तीन वर्ष के लिए जिसे दो वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

केन्द्रीय चिकित्सीय सेवाएं सोसायटी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद के लिए आवेदन

1. नाम (स्पष्ट अक्षरों मे):
2. लिंग (पुरुष/महिला):
3. कार्यालय का पता (टेलीफोन नं. सहित):
4. आवासीय पता (टेलीफोन नं. सहित) :
5. फैक्स नं. :
6. मोबाइल नं. :
7. ईमेल पता:
8. जन्म की तारीख (दिन-माह-वर्ष) :
9. भर्ती होने का वर्ष:
10. सह सचिव के लिए एम्पनेल्मेंट का वर्ष :
11. सेवा का नाम जिसके सदस्य रहे हैं:
12. संवर्ग (यदि मान्य है) :
13. वर्ग: (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य):
14. वर्तमान वेतन (ग्रेड वेतन और वेतन बैंड) :
15. शैक्षिक योग्यताएं:

उत्तीर्ण परीक्षा	विश्वविद्यालय/ संस्थान/बोर्ड	उत्तीर्ण करने के वर्ष	पाठ्यक्रम की अवधि	विषय

16. निम्नलकित प्रपत्र में रोजगार/व्यावसायिक अनुभव का कालनुक्रमिक क्रम में विवरण: (कृपया एक अलग शीट संलग्न करें जिसे अपने हस्ताक्षर से विधिवत प्रमाणित किया गया हो)

कार्यालय/ संस्थान/ संगठन	धारित पद	दिनांक से	दिनांक तक	नियुक्ति की प्रकृति (नियमित/ तदर्थ/ प्रतिनियुक्ति)	वेतनमान और मूल वेतन/वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	कार्य की प्रकृति

17. प्राप्त प्रशिक्षणों का ब्यौरा:

संस्थान/ स्थान	से	तक	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/विषय	टिप्पणी

18. स्वास्थ्य प्रशासन/स्वास्थ्य क्षेत्र के सामान के प्रापण का अनुभव, यदि कोई है।

19. कृपया बताएं आवेदित पद की अपेक्षाओं को आप कैसे पूरा करेंगे और आप पद लिए स्वय को कैसे उचित मानते हैं। (इसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण और (iii) कार्य अनुभव के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई जाए)।

20. यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति/संविदा पर धारित किया हुआ है, कृपया बताएं-

क. प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख

ख. प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की तारीख

ग. मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिसमें आप कार्य करते हैं।

21. वर्तमान रोजगार के विषय में अतिरिक्त ब्यौरा। कृपया बताएं क्या निम्नलिखित के अधीन कार्य कर रहे हैं (संबंधित कॉलेज के सामने अपने नियोक्ता का नाम लिखें)

क. केन्द्र सरकार

ख. राज्य सरकार

ग. स्वायत्त सरकार

घ. सरकारी संगठन

ङ. विश्वविद्यालय

च. अन्य

22. विगत 10 वर्षों के दौरान लगाई गई शास्ति, यदि कोई है, की स्थिति।

23. टिप्पणीः

अभ्यर्थी निम्नलिखित के संबंध में सूचना दे सकते हैं (i)अनुसंधान प्रकाशन, रिपोर्ट और विशेष परियोजनाएं (ii) पुरस्कार/स्कॉलरशिप/अधिकारिक प्रशंसा (iii) व्यावसायिक निकायों/संस्थानों/सासोइटियों से संबद्धता और (iv) अन्य कोई सूचना।

(टिप्पणीः यदि स्थान अपर्याप्त है तो अलग शीट संलग्न करें)

मैं यह घोषणा करता/ करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य है।

स्थानः

दिनांकः (आवेदक का हस्ताक्षर)